प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु 0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.15 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग की स्वीकृत शासनादेश संख्या 5113/111(2)/10–02 (मु0म0घो0)/2010 दिनांक 23.09.2010 द्वारा 2.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 25.20 लाख की प्राप्त हुई हैं। मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.850 कि0मी0 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से प्रारम्भ हो कर ग्राम पनाई अनुसूचित जाति तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम पनाई मल्ली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछडे क्षेत्र यातायात से जुड जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेगें, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम वन पंचायत/ सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1–वन पंचायत भूमि 0.300 कि0मी0 x 7 मी0	=	0.210 हे0
2–सिविल भूमि 0.050 कि0मी0 x 7मी0	=	0.035 हे0
3– नाप भूमि 0.500 कि0मी0 x 7मी0	=	0.350 हे0
4–मक डिस्पोजल हेतु	=	0.015 हे0
योग	=	0.610 हे0 ।

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.210 है0 वन पंचायत भूमि, 0.035 है0 सिविल भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत /सिविल भूमि का प्रस्ताव गठित कर लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर